कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

याचिका संख्या 6235/2023 मनीषा भाटी बनाम सरकार में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2023 में सक्षम प्राधिकारी को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थिया रा.उ.प्रा.वि. खेड़ली महादीत, ब्लॉक–सुल्लतानपुर, जिला कोटा में पीटीआई ग्रेड–III के पद पर कार्यरत थी। वर्तमान में याचिकार्थिया शिक्षण व्यवस्थार्थ रा.उ.प्रा.वि. राजीव गांधी कच्ची बस्ती बासनी (480603) में की गयी है। याचिकार्थिया के कथनानुसार याचिकार्थिया का इकलौता पुत्र जन्म से ही विकलांग होने के साथ–साथ असाध्य रोग से पीड़ित है। जिसके ईलाज एवं मल्टीपल सर्जरी हेतु कोटा मेडिकल कॉलेज द्वारा एम्स, जोधपुर में रैफर किया गया। बच्चे की छोटी उम्र व नाजुक हालत को देखते हुए मां का ईलाज के दौरान साथ रहना अतिआवश्यक है। बच्चे का मल्टी ऑपरेशन होने के कारण एम्स, जोधपुर में नियमित ईलाज लंबे समय तक चलेगा इस कारण याचिकार्थिया का जोधपुर शहर में रहना अनिवार्य है। अतः याचिकार्थिया ने अपना स्थानान्तरण रा.उ.प्रा.वि. खेड़ली, महादीत, ब्लॉक–सुल्लतानुपर, जिला–कोटा जोधपुर में निम्न में से किसी एक पद पर करवाने की मांग की है –राउप्रावि प्रताप, जोधपुर शहर, राउप्रावि इण्डस्ट्रीयल एरिया सूरसागर जोधपुर शहर 429165, तथा जोधपुर शहर में कहीं पर भी।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि **"the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."** इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.04 22:22:58 IST
Reason: Approved

Ref No. : 4839431

Rajasthan Education Department

वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है। याचीकार्थिया की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहानुभुतिपूर्वक विचार करते हुए वर्तमान में राउप्रावि. राजीव गांधी कच्ची बस्ती बासनी, जोधपुर में शिक्षण व्यवस्थार्थ यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्तानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./13052/2023 दिनांकः– 04/10/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, कोटा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जोधपुर
4. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. याचिकार्थिया मनीषा भाटी (शा.शिक्षक) राउप्रावि. राजीव गांधी कच्ची बस्ती बासनी, जोधपुर
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.04 22:22:58 IST
Reason: Approved

ef Lio 4839431